बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश संख्या-36 पटना, दिनांक-08.06.2016

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर के ज्ञापांक-76/स्था0 दिनांक-21.01.2016 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर तारीक हुसैन, पिता-स्व0 मनौवर हुसैन, भूतपूर्व लिपिक की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर तारीक हुसैन की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. तारीक हुसैन की जन्म तिथि-29.06.1994 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4. हुसैन पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।

5. हुसैन को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति हुसैन द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।

8. हुसैन को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. हुसैन को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

लगातार पेज-2/............

(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

10. हुसैन पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. हुसैन को नियुक्ति के छ: माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

ह0/-

(मो0 सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 2/ई3-1301/2014 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आदेश की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 2/ई3-1301/2014 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक बिहार, पटना/जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर को ज्ञापांक-76/स्था0 दिनांक-21.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

श्रम आयुक्त, बिहार।

<u>स्पीड पोस्ट</u> ज्ञापांक- 2/ई3-1301/2014 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- तारीक हुसैन, पिता-स्व0 मनौवर हुसैन, मो0-हकमंजिल, समनपुरा, पो0-वी0भी0 कॉलेज, राजाबाजार, पटना-800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हुसैन को निदेश दिया जाता है कि योगदान के समय वे स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ अन्य सभी प्रमाण-पत्रों को भी समर्पित करेंगे।

ह0/-

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 2/ई3-1301/2014 श्र0सं0- 2554 पटना, दिनांक- 8.6.16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/16

श्रम आयुक्त, बिहार।